न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/171 **दायरा दिनांक : 17.10.2023**

उनवान

गुलाब बाई पत्नी परमानन्द, जाति लोधा निवासी गांगाहोनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– गुलाबचन्द पुत्र श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी गांगाहोनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0 मृतक जरिये कायम मुकाम–

1/1–तुलसीराम पुत्र गुलाबचन्द जाति लोधा

1/2–राधेश्याम पुत्र गुलाबचन्द जाति लोधा
निवासी गांगाहोनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

1/3–लीला बाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नी प्रभुलाल जाति लोधा निवासी टोडरीमीरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

1/4–धापू बाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नी हजारीलाल जाति लोधा निवासी गुराडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

1/5–बरजीबाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नी कालूराम जाति लोधा निवासी रूपाहेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

1/6–पाना बाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नी रामकिशन जाति लोधा निवासी बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

1/7–सम्पत्त बाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नी रमेशचन्द जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय पटौदी अभिभाषक रेस्पोडेंट क. 3 व 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 20.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या 84/09 पुनः दर्ज नं. 30/दावा/2021 निर्णय दिनांक 04.08.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गांगाहोनी पटवार क्षेत्र कोलूखेड़ी मालियान, तहसील मनोहरथाना के माल में नई खतौनी संख्या 34 पुरानी 29 की खसरा नं. 8 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 79 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 80 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 81 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 82 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 129 रकबा 1 बीघा 10

20/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा, खसरा नं. 139 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 142 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 147 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 148 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 149 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 151 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 191 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 193 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 194 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 217 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 218 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 229 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 230 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 269 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 270 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 287 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 288 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 294 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 296 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 305 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 306 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 307 रकबा 14 बिस्वा कुल 32 किता की 28 बीघा 8 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामिल खाते से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.08.2023 से वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.03.2021 से स्पष्ट है कि इस तारीख के बाद आगामी करीब 15 पेशी पर कोर्ट सीटिंग नहीं हुई, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में मृतक प्रतिवादी/रेस्पोडेंट बद्रीलाल और प्यारेलाल के कायम मुकामान को रिकार्ड पर नहीं लिया और मृतक के विरूद्ध निर्णय आदेश जेर अपील पारित कर दिया गया जो अवैधानिक है। आदेशिका दिनांक 04.08.2023 में न्यायालय द्वारा यह अंकित किया है कि वकील वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. पेश हुआ जबकि पूर्व स्थिति बहाल करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2023 रेस्पोडेंट/प्रतिवादी जगन्नाथ, रमेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई कारण अंकित किये बिना सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार को पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश पारित कर दिया, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार करने में कानूनी प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाया और धारा 144 सी.पी.सी. के मामले में इजराय के प्रावधान लागू होते हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में यदि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 17.12.2020 से अन्दर दो वर्ष अर्थात् 16.12.2022 तक प्रस्तुत होता तो एक तरफा आदेश पारित किया जा सकता था परन्तु प्रार्थना पत्र दो वर्ष बाद अर्थात् 04.08.2023 को प्रस्तुत किया गया है और इसी दिन स्वीकार कर लिया गया जो अवैधानिक है आदेश जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2020 की कोई पालना नहीं की और मृतक व्यक्तियों के कायम मुकामान बनाये बिना ही अवैधानिक तरीके से एक तरफा रूप से अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना है। रेस्पोडेंट गुलाबचंद की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके कायममुकामान को रेस्पोडेंट बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है यह आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.08.2023 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे कि वो माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2020 की पालना में मृतक बद्रीलाल एवं प्यारेलाल व बाद में मृतक गुलाबचंद के कायम मुकामान को रिकार्ड पर

20/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लेकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. बाबत पूर्ववत स्थिति बहाल करने का निर्णय पारित करें और विधि सम्मत तरीके से मूल प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक प्रतिवादी/रेस्पोडेंट बद्रीलाल और प्यारेलाल के कायम मुकामान को रिकार्ड पर नहीं लिया और मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई कारण अंकित किये बिना सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार कर तहसीलदार को पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(1) पेज 64 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.06.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 09.09.2017 इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2020 द्वारा अपास्त कर दिये गये। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया।

प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वाद से पूर्व की स्थिति बहाल की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.06.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 09.09.2017 अपास्त होने से इन निर्णयों की पालना में खोला गया नामान्तरकरण भी स्वतः निरस्त हो चुका है। अतः उक्तानुसार धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रभावशून्य नामान्तरकरण को निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण दिनांक 17.12.2020 के निर्णय से प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्देशित किया जाता है कि मूल वाद में मृतकों के कायम मुकामान बनाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 20/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा